भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3072

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

लंबी दूरी की बस यात्रा में सुरक्षा मानकों का कार्यान्वयन

3072. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लंबी दूरी और अंतरराज्यीय बस यात्रा में विशेषकर अनधिकृत संरचनात्मक संशोधन, गैर-अनुमोदित शयन बर्थ की स्थापना और प्रमाणित वाहन डिजाइनों का अनुपालन नहीं करने के कारण बढ़ती सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या पंजीकरण के बाद बसों में इस प्रकार के पुन: संशोधन को रोकने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों सहित प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का बसों के लिए एकीकृत प्रणालियों के माध्यम से गति नियंत्रक, आपातकालीन निकास, जीपीएस स्थान और वाहन चलाने के व्यवहार जैसी सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विशेषताओं की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और निगरानी करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का निजी प्रचालकों द्वारा बैठने के डिब्बों को शयनयान डिब्बों में परिवर्तित करने जैसे अनधिकृत संरचनात्मक संशोधनों का पता लगाने और उन पर अंकुश लगाने के लिए एआई-आधारित निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सभी राजमार्ग परिवहन प्रचालनों में यात्रियों की सुरक्षा, जवाबदेही और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विनिर्माताओं से लंबी दूरी की सभी बसों में उत्पादन के स्तर पर मानकीकृत सुरक्षा विशिष्टताएं जैसे प्रमाणित शयनयान लेआउट, फैक्ट्री फिटेड स्पीड कैप, अग्निशमन प्रणाली और रोलओवर सुरक्षा स्थापित करने के लिए कहने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार हाल ही में हुई बस दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपायों की जांच करने की योजना बना रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (छ) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि. 905(अ) दिनांक 23 सितंबर, 2016 के माध्यम से अधिसूचित किया कि स्लीपर कोचों के बस बॉडी निर्माण के लिए परीक्षण और

प्रकार अनुमोदन एआईएस 119 (संशोधित 1) 2016 के अनुसार होगा। इसे 2017 से अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों को शामिल करने के लिए समय-समय पर संशोधित किया गया है।

कुछ विशेषताओं/अपेक्षाओं का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:

i. अग्निशामक की दो इकाइयां (कुल क्षमता 10 किग्रा) - एक ड्राइवर के पास और एक यात्री डिब्बे में व्यवस्था करना।

ii. मानक के अनुसार, 12 मीटर लंबाई की बसों के लिए 4 निकास (आपातकालीन द्वार के लिए 1 निकास, हैच के लिए 2 निकास और खिड़की या कांच के लिए 1 निकास) प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, 12 मीटर से अधिक लंबाई वाली बसों के लिए एक अतिरिक्त हैच प्रदान किया जाएगा।

iii. इंजन कंपार्टमेंट और अन्य अग्नि-प्रवण क्षेत्रों में आग का पता लगाने और शमन प्रणाली की अनिवार्य संस्थापना करना।

iv. सभी प्रकार की बसों के लिए यात्री और ड्राइवर डिब्बे के बीच कोई पृथक्करण नहीं होगा।

सरकार ने दिनांकित 06.03.2024 के सा.का.नि 159 (अ) के माध्यम से दिनांक 1 सितंबर 2025 से चालक को छोड़कर 22 से अधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता वाली बसों के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) और गैर-ओईएम बस बॉडी निर्माताओं के बीच समान अवसर प्रदान करने की अधिसूचना जारी की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंजीकरण के समय और फिटनेस निरीक्षण के दौरान एआईएस:052 और एआईएस:119 का सख्ती से अनुपालन करने के लिए परामर्शी जारी की गई है।
